

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, इटावा

आदेश सं० 134 /

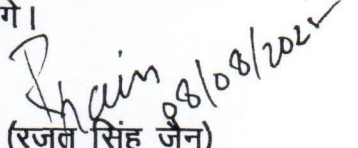
दिनांक : अगस्त 08, 2025

आदेश

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के वार्षिक कैलेण्डर 2025 के बिन्दु सं० 3 के अनुसार जनपद न्यायाधीश द्वारा पांच दिवस का स्थानीय अवकाश घोषित किया जायेगा। कैलेण्डर के बिन्दु सं० 8 पर यह भी निर्देश दिया गया है कि जनपद न्यायालयों में कार्यदिवस एक वर्ष में 265 दिन से कम नहीं रहेगा। उक्त निर्देश के क्रम में चार स्थानीय अवकाशों के सम्बन्ध में पूर्व में आदेश पारित किया जा चुका है। एक स्थानीय अवकाश घोषित किया जाना शेष है।

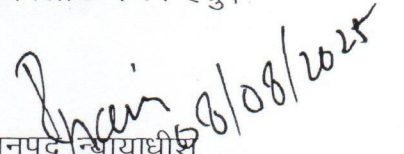
जिला बार एसोसिएशन तथा सिविल बार एसोसिएशन के अध्यक्षगण एवं महामंत्रीगण द्वारा दिनांक 24.10.2025 दिन शुक्रवार को कार्तिक तीज (गोवर्धन विसर्जन) का स्थानीय अवकाश घोषित किये जाने का अनुरोध किया गया है। उनके अनुरोध पर विचार करते हुये, जिला मजिस्ट्रेट, इटावा से परामर्श के उपरान्त दिनांक 24.10.2025 दिन शुक्रवार का स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है।

अतः जजशिप इटावा के समस्त न्यायालय/कार्यालय एवं ग्राम न्यायालय (सैफई व चकरनगर) दिनांक 24.10.2025 (शुक्रवार) को बन्द रहेंगे।


(रजत सिंह जैन)
जनपद न्यायाधीश,
इटावा

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय इटावा।
2. पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, इटावा।
3. जिलाधिकारी, इटावा।
4. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इटावा।
5. मुख्य चिकित्साधिकारी, इटावा।
6. वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, इटावा।
7. जिला सूचना अधिकारी, इटावा को दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
8. अध्यक्ष/महामंत्री, जिला बार संघ, इटावा।
9. अध्यक्ष/महामंत्री, सिविल बार संघ, इटावा।
10. जिला शासकीय अधिवक्ता (दण्ड)
11. जिला शासकीय अधिवक्ता (सिविल)
12. केन्द्रीय नाजिर, जजी इटावा।
13. सिस्टम आफिसर को जनपद न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
14. समस्त न्यायालय एवं कार्यालय।


जनपद न्यायाधीश,
इटावा।